राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प.4( )/आ.कृ./कृ.यं/2025–26/ दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)
जिला परिषद.....।

विषय:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत रिमोट पायलट प्रशिक्षण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया बाबत्।

कृषि ड्रोन संचालन हेतु राज्य में प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुऐ इच्छुक पात्र अभ्यार्थियों को अनुदानित दर पर रिमोट पायलट प्रशिक्षण दिये जाने हेतु स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के डी.जी.सी.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान (Remote Pilot Training Organization) में रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण शुल्क राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 35,000/– अनुदान स्वीकृति का प्रावधान है।

इस योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्थापित डी.जी.सी.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(चिन्मयी गोपाल)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : प.4( )/आ.कृ./कृ.यं/2025–26/ दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि, एवं उद्यानिकी विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।
4. निजी सचिव राज्य मिशन निदेशक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उद्योग भवन, जयपुर।
5. कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान), मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त खंडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....
9. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/शष्य,(ज0उ0प्र0)/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
11. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/आईसोपॉम/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/तकनीकी/ट्रेनिंग/एसीपी), मु0 जयपुर।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),.....।
13. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
14. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

आयुक्त, कृषि

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.17 17:35:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16317859
eSign 1.0

रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

कृषि में ड्रोन की बढती मांग के दृष्टिगत राज्य में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकें, इस हेतु ड्रोन संचालन का रिमोट पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिये जाने के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत डी.जी.सी.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान (Remote Pilot Training Organization) से रिमोट पायलट प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया एवं अनुदान स्वीकृति के दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. आवेदक की पात्रता :–

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के राजस्थान के मूल निवासी कृषि ड्रोन पायलट प्रशिक्षण हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
2. आवेदन हेतु पात्र लाभाथियों की प्राथमिकता निम्न क्रम के अनुसार रहेगी।
   i. ऐसे ग्रामीण युवा एवं उद्यमी जिनके पास कृषि ड्रोन उपलब्ध हो, किन्तु ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है तथा किसी कस्टम हायरिंग केन्द्र के साथ जुड़कर ड्रोन किराये पर चलाने के इच्छुक हो, उनको प्रशिक्षण में वरीयता
   ii. महिला स्वयं सहायता समूह की महिला प्रशिक्षणार्थी
   iii. कृषि स्नातक
   iv. मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
3. ऐसे आवेदक जिनके द्वारा ड्रोन क्रय कर लिया गया है किन्तु ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है तथा किसी कस्टम हायरिंग केन्द्र के साथ जुड़कर ड्रोन किराये पर चलाने के इच्छुक हो, उनको प्रशिक्षण में वरीयता

नोटः– नमो ड्रोन दीदी में चयनित महिलाये एवं ऐसे कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक/प्रतिनिधि, जो ड्रोन पर अनुदान लेने के इच्छुक हों, उनका इस योजना में प्रशिक्षण के लिए चयन नहीं किया जावे। उनको ड्रोन पायलट प्रशिक्षण ड्रोन कम्पनी के द्वारा पैकेज के रूप में ही प्रदान किया जायेगा।

2. प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण अवधि :–

आवेदकों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्थापित भारत सरकार के डी.जी.सी.ए. से मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान में 7 दिवसीय एवं 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

3. प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क एवं अनुदानः–

क्र.सं.	विवरण	शुल्क प्रति प्रशिक्षु	GST 18%
1.	ड्रोन प्रशिक्षण शुल्क (7 दिवसीय)	रू.50,000/–	रू.9,000/–
2.	ड्रोन प्रशिक्षण शुल्क (15 दिवसीय)	रू.65,000/–	रू.11,700/–
3.	आवास सुविधाऐं	रू.200 प्रतिदिन	–
4.	भोजन सुविधा	रू.150 प्रतिमील	–

1. उक्त अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा रिमोट पायलट के 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शुल्क राशि रूपये 59,000/–(GST सहित) एवं 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शुल्क राशि रूपये 76,700/–(GST सहित) है।
2. आवास सुविधाऐं राशि रूपये 200 प्रतिदिन, प्रति प्रशिक्षणार्थी एवं भोजन सुविधा राशि रूपये 150 रू. प्रति मील, प्रति प्रशिक्षणार्थी का शुल्क निर्धारित किया गया है।
3. सफल प्रशिक्षणार्थियों के लिये इस निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क (मय GST) मय आवास सुविधाऐं तथा भोजन सुविधा की 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि रू. 35,000/–) विभाग द्वारा वहन की जायेगी।
4. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा विभाग की ओर से मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रशिक्षण शुल्क राशि का 10 प्रतिशत वहन किये जाने की सहमति भी प्रदान की गई है, शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।
5. प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा digitalsky.dgca.gov.in पर प्रशिक्षणार्थी का नाम एवं रिमोट पॉयलट सर्टिफिकेट (RPC) नम्बर की पुष्टि उपरान्त प्रशिक्षण हेतु अनुदान देय होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.17 17:35:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16317859
eSign 1.0

4. आवेदन प्रक्रिया:–

1. आवेदक को अपने जनाधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल अथवा राज किसान सुविधा एप्प से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक को 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की प्रति स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
3. ऑनलाइन मोड्यूल प्रारम्भ होने तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य होंगे। ऐसे आवेदनों हेतु प्रक्रिया भी निम्नानुसार ऑफलाइन अपनायी जा कर आवेदकों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

5. आवेदकों के चयन की प्रक्रिया :–

1. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुऐ प्राप्त आवेदनों की "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर जांच की जाकर, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार के द्वारा पात्र आवेदनों को संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद् कार्यालय को अग्रेषित की जायेगी।
2. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा अग्रेषित आवेदनों का परीक्षण संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद् कार्यालय द्वारा किया जाकर पात्र आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की जाकर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। प्रशासनिक स्वीकृति की एक प्रति कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. प्रत्येक जिले में अधिकतम 10 प्रशिक्षाणर्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जायेगा। संभाग स्तर पर किसी जिले से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति में जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर जिलेवार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का पुर्ननिर्धारण संबंधित खंडीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन) द्वारा किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षणार्थियों के बैच का निर्धारण एवं प्रशिक्षण की सूचना:–

1. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद् कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु बैच का निर्धारण कर संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की दिनांक, प्रशिक्षण हेतु देय शुल्क एवं अन्य आवश्यक सूचनायें प्रेषित की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु आवेदक द्वारा देय निर्धारित शुल्क का भुगतान रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थान को किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी का रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी कर D.G.C.A. पर पंजीकरण कराया जायेगा।

7. अनुदान हेतु भौतिक सत्यापन, वित्तीय स्वीकृति एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:–

1. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने की सूचना एवं रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थान द्वारा जारी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट का नम्बर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य आवेदक स्वयं के द्वारा अथवा सम्बधित कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किया जायेगा। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय के संबंधित कृषि अधिकारी द्वारा किया जाकर संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय को भिजवाया जायेगा। सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी का नाम digitalsky.dgca.gov.in पर रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त पायलेट्स की सूची में सम्मिलित है।
2. भौतिक सत्यापन के आधार पर विभाग द्वारा देय अनुदान राशि के लिये प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बिल उपलब्ध कराये जानें पर संबंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर आयुक्तालय द्वारा सम्बंधित संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय को एस.एन.ए. स्पर्श में लिमिट जारी की जायेगी। जिसके आधार पर प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय स्वीकृति जारी कर भुगतान किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा digitalsky.dgca.gov.in पर प्रशिक्षणार्थी का नाम एवं रिमोट पॉयलट सर्टिफिकेट (RPC) नम्बर की पुष्टि उपरान्त प्रशिक्षण हेतु अनुदान देय होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.11.17 17:35:50 IST
Reason: Approved